रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72

REGISTERED No. D. (D.)72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 169] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 29, 1980/वैशाख 9, 1902
No. 169] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 29, 1980/VAISAKHA 9, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 1980

का०आ० 282(न).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया गया है :—

आदेश

डा० टी० के० कोथण्डाराम, संयोजक, दलित जाति संघर्ष समिति, हैदराबाद ने राष्ट्रपति को निम्नलिखित व्यक्तियों के, जैसा कि उनके नाम के आगे उपदर्शित है, आन्ध्र प्रदेश राज्य विधान सभा या आन्ध्र प्रदेश राज्य विधान परिषद के आसीन सदस्य हैं, विरुद्ध फरवरी, 1979 और अप्रैल, 1979 में ग्यारह भिन्न भिन्न अर्जियां दी थीं :

1. श्री वी० वेंकट रेड्डी, सदस्य विधान परिषद्
2. श्री वेदान्त राव, सदस्य विधान सभा
3. श्री अनन्त रेड्डी, सदस्य विधान सभा
4. श्री के० रोसइया, सदस्य विधान परिषद्
5. श्री सेफुल्ला बेग, सदस्य विधान सभा
6. श्री कोण प्रभाकर राव, सदस्य विधान सभा
7. श्री जी० एस्वर, सदस्य विधान सभा
8. श्री अप्पा राव, सदस्य विधान सभा
9. श्री पी० गोवर्धन रेड्डी, सदस्य विधान सभा
10. श्री पी० सुन्दरैया, सदस्य विधान सभा
11. श्री एस० रामदास, सदस्य विधान सभा
12. श्री बी० शिव प्रसाद, सदस्य विधान सभा
13. श्री बी० मचेन्दर, सदस्य विधान सभा
14. श्री सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी, सदस्य विधान सभा
15. श्री अमर सिंह, सदस्य विधान परिषद्
16. श्री जी० प्रकाश राव, सदस्य विधान सभा और
17. श्री आर० एम० मनोहर, सदस्य विधान सभा

इन अर्जियों में यह अभिकथन किया गया था कि

(i) उक्त क्रम सं० 1 से 15 तक के सदस्य संविधान के अनुच्छेद 191 (1) (क) के अनुसार उक्त विधान सभा की सदस्यता के लिए निरर्हित हो गए हैं ; और

(ii) उक्त क्रम सं० 16 और 17 के सदस्य क्रमशः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित किए गए हैं, यद्यपि वे किसी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य नहीं हैं ?

राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 192 (2) के अधीन निर्वाचन आयोग को निर्देश करते हुए इस प्रश्न पर निर्वाचन आयोग की राय मांगी थी कि क्या उक्त व्यक्ति इस प्रकार निरर्हित हो गए हैं :

निर्वाचन आयोग की राय है (देखिये उपाबंध) कि संविधान (अधाली-सवां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 25 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 192(1) के उपबंधों में किए गए संशोधन के कारण राष्ट्रपति को

अब उक्त प्रश्न का विनिश्चय करने की अधिकारिता प्राप्त नहीं है और उक्त निर्देश असफल हो गया है और इसलिए उसने उक्त निर्देश राष्ट्रपति को वापस कर दिया है ।

अतः अब मैं नीलम संजीव रेड्डी, भारत का राष्ट्रपति, उक्त अर्जी पूर्वोक्त अर्जीदार को वापस करता हूं ।

नीलम संजीव रेड्डी,
भारत का राष्ट्रपति

उपाबंध

भारत निर्वाचन आयोग

भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष

भारत के संविधान के अनुच्छेद 192(2) के अधीन राष्ट्रपति से प्राप्त निर्देश आन्ध्र प्रदेश राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के कुछ आसीन सदस्यों की अभिकथित निरर्हता के मामले में ।

राय

संविधान के अनुच्छेद 192(2) के अधीन भारत के राष्ट्रपति से प्राप्त ये निर्देश मामले आन्ध्र प्रदेश राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के निम्नलिखित आसीन सदस्यों की, अभिकथित निरर्हता के संबंध में है :—

1. श्री वी० वैंकट रेड्डी, सदस्य विधान परिषद्
2. श्री वेदान्त राव, सदस्य विधान सभा
3. श्री अनन्त रेड्डी, सदस्य विधान सभा
4. श्री के० रोसय्या, सदस्य विधान परिषद्
5. श्री मैफुल्ला बेग, सदस्य विधान सभा
6. श्री कोण प्रभाकर राव, सदस्य विधान सभा
7. श्री जी० एस्वर, सदस्य विधान सभा
8. श्री ग्रप्पा राव, सदस्य विधान सभा
9. श्री पी० गोवर्धन रेड्डी, सदस्य विधान सभा
10. श्री पी० सुन्दरैया, सदस्य विधान सभा
11. श्री जी० प्रकाश राव, सदस्य विधान सभा
12. श्री एम० रामदास, सदस्य विधान सभा
13. श्री वी० शिव प्रसाद, सदस्य विधान सभा
14. श्री बी० मच्चेन्दर, सदस्य विधान सभा
15. श्री सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी, सदस्य विधान सभा
16. श्री अमर सिंह, सदस्य विधान परिषद् और
17. श्री आर० एम० मनोहर, सदस्य विधान सभा

राष्ट्रपति के समक्ष आन्ध्र प्रदेश राज्य विधान मण्डल के उक्त आसीन सदस्यों की अभिकथित निरर्हता का प्रश्न डा० टी० के० कोथण्डाराम, संयोजक, दलित जाति संघर्ष समिति, हैदराबाद द्वारा फरवरी, 1979 और अप्रैल, 1979 में फाइल की गई भिन्न भिन्न अर्जियों में उठाया गया था ।

अभिकथित निरर्हता का प्रश्न मुख्य रूप से इस आधार पर उठाया गया है कि आन्ध्र प्रदेश राज्य विधान मण्डल के उक्त सभी आसीन सदस्य (श्री जी० प्रकाश राव, सदस्य विधान सभा और श्री आर० एम० मनोहर, सदस्य विधान सभा को, जिनका उल्लेख उक्त क्रमांक सं० 11 और 17 पर किया गया है, छोड़कर) आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा गठित या स्थापित विभिन्न निगमों और निकायों के अध्यक्ष/निदेशक बोर्ड के सदस्य आदि के रूप में उनकी नियुक्ति के आधार पर वे संविधान के अनुच्छेद 191(1)(क) के अर्थ में आन्ध्र प्रदेश सरकार के अधीन लाभ के कुछ पद या अन्य पद धारण करने रहे है । सर्वश्री जी० प्रकाश राव और आर० एम० मनोहर, विधान सभा सदस्यों के मामले में यह अभिकथन किया गया था कि उनका निर्वाचन क्रमशः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों से हुआ है यद्यपि वे किसी अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं हैं ।

उक्त विधान सभा/विधान परिषद् सदस्यों के अभिकथित निरर्हता के संबंध में ऊपर उल्लिखित 11 अर्जियों में दी गई विशिष्टियां इतनी पर्याप्त नहीं थी कि आयोग इस विषय में आगे जांच कर सके । वास्तव में डा० कोथण्डाराम की मूल अर्जी में श्री वेंकट रेड्डी (ऊपर क्रम सं० 1 पर उल्लिखित) के बारे में गलत विशिष्टियां दी गई थी जिसके परिणामस्वरूप आयोग उलझन में पड़ गया था क्योंकि इसने एक गलत व्यक्ति को सूचना जारी कर दी थी और आयोग को खेद व्यक्त करते हुए वह सूचना वापस लेनी पड़ी । इसलिए आयोग ने डा० कोथण्डाराम को औपचारिक सूचना जारी की कि वह उक्त सभी अर्जियों के विषय में सुसंगत विशिष्टियां दें और अपने अभिकथनों में सभी आवश्यक दस्तावेज फाइल करें । उनसे यह भी कहा गया था कि वह श्री वेंकट रेड्डी के मामले में, जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है, गलत विशिष्टियां प्रस्तुत करने के लिए खेद व्यक्त करें । इसके बाद डा० कोथण्डाराम से न तो कोई जानकारी मिली और न उन्होंने ऊपर उल्लिखित सूचनाओं का अनुस्मरण कराए जाने के बावजूद प्रत्युत्तर देने की जरूरत समझा । इन परिस्थितियों में, जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है, आयोग उस अनुत्तरदायित्वपूर्ण और बिना सोची विचारी रीति पर जिसमें डा० कोथण्डाराम ने वर्तमान अर्जियां फाइल की थीं अपनी अप्रसन्नता व्यक्त करता है । डा० कोथण्डाराम विधिक कार्यवाही के दुरुपयोग के दोषी हैं ।

अर्जीदार ने अर्जियों के बारे में आगे कार्रवाई नहीं की है, जैसा कि ऊपर बताया गया है, तथा इस बीच संविधान के अनुच्छेद 192(2) के जिसके अधीन अर्जियां दी गई हैं उपबंध में तात्विक परिवर्तन हो गया है । संविधान के अनुच्छेद 192 का, संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 द्वारा तारीख 20-6-79 से संशोधन कर दिया गया है । अनुच्छेद 192 के संशोधित उपबंधों के अधीन यह अपेक्षा की गई है कि किसी राज्य विधान मण्डल के किसी सदन के आसीन सदस्य की निरर्हता के संबंध में कोई प्रश्न राज्यपाल के समक्ष उठाया जाए और अब राष्ट्रपति को ऐसे प्रश्न का विनिश्चय करने की अधिकारिता प्राप्त नहीं है ।

उपर्युक्त सांविधानिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए आयोग ने तारीख 19 दिसम्बर, 1979 को डा० कोथण्डाराम को एक और सूचना जारी की कि वे कारण वर्णित करें कि उक्त निर्देश असफल हो जाने के कारण वह राष्ट्रपति को क्यों न वापस कर दिया जाए । उन्हें यह भी बता दिया गया था कि यदि 10 जनवरी, 1980 तक उनसे कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो यह मान लिया जाएगा कि वह उक्त विधिक स्थिति से सहमत है । इस बार भी इस संबंध में डा० कोथण्डाराम से कोई पत्र नहीं मिला ।

सांविधानिक स्थिति में ऊपर उल्लिखित परिवर्तन की दृष्टि से मेरी यह राय है और मैं तदनुसार यह अभिनिर्धारित करता हूं कि राष्ट्रपति द्वारा किए गए उक्त निर्देश उन्हें वापस लौटा दिए जाने चाहिए क्योंकि वे निर्देश असफल हो गए हैं । परिणामस्वरूप उक्त निर्देश उपर्युक्त राय के साथ राष्ट्रपति को लौटाए जाते हैं ।

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 1980

एस० एल० शकधर,
भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त

[सं० एफ० 7(14)/80-वि० II]
आर० वी० एस० पेरी शास्त्री, सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th April, 1980

S.O. 282(E).—The following Order made by the President is published for general information :—

ORDER

Whereas Dr. T. K. Kothandaram, Convener, Dalithajathi Sangarsha Samithi, Hyderabad submitted eleven different Petitions in February, 1979 and April 1979 to the President against

the following sitting members of the Andhra Pradesh State Legislative Assembly or the Andhra Pradesh State Legislative Council, as indicated against their names :

1. Shri V. Venkat Reddy, MLC
2. Shri Vedantha Rao, MLA
3. Shri Anantha Reddy, MLA
4. Shri K. Rosaiah, MLC
5. Shri Saifulla Baig, MLA
6. Shri Kona Prabhakara Rao, MLA
7. Shri G. Eswar, MLA
8. Shri Appa Rao, MLA
9. Shri P. Goverdhan Reddy, MLA
10. Shri P. Sundaraiah, MLA
11. Shri S. Ramadass, MLA
12. Shri B. Shiv Pershad, MLA
13. Shri B. Machender, MLA
14. Shri Sultan Salahuddin Owaisi, MLA
15. Shri Amar Singh, MLC
16. Shri G. Prakasa Rao, MLA and
17. Shri R. M. Manohar, MLA

alleging that :

(i) the members at serial Nos. 1 to 15 above had become subject to the disqualification for being members of that Legislature in terms of article 19(1)(a) of the Constitution ; and

(i) the members at serial Nos. 16 and 17 above have been elected from the constituencies reserved for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes respectively though they did not belong to a Scheduled Caste/Scheduled Tribe.

And whereas the President had made a reference to the Election Commission under article 192(2) of the Constitution for the opinion of the Commission on the question whether the aforesaid persons had become subject to such disqualification ;

And whereas the Election Commission is of the opinion (vide Annexure) that by reason of the amendment of the provisions of article 192(1) of the Constitution by section 25 of the Constitution (Forty-fourth Amendment) Act, 1978, the President has no jurisdiction to give a decision on the said question and that the said reference has become infructuous and has, therefore, returned the said reference to the Presidnt ;

Now, therefore, I, Neelam Sanjiva Reddy, President of India, do hereby return the said petitions to the Petitioner above mentioned.

NEELAM SANJIVA REDDY
President of India

Rashtrapati Bhavan,
New Delhi,
The 24th April, 1980.

ANNEXURE

ELECTION COMMISSION OF INDIA

BEFORE THE ELECTION COMMISSION OF INDIA

In Re : References from the President of India under article 192(2) of the Constitution of India regarding the alleged disqualification of certain sitting members of both Houses of the Andhra Pradesh State Legislature.

OPINION

The present reference cases from the President of India under article 192(2) of the Constitution relate to the alleged disqualification of the following sitting members of both Houses of the Andhra Pradesh State Legislature :—

1. Shri V. Venkat Reddy, MLC
2. Shri Vedantha Rao, MLA
3. Shri Anantha Reddy, MLA
4. Shri K. Rosaiah, MLC
5. Shri Saifulla Baig, MLA
6. Shri Kona Prabhakara Rao, MLA
7. Shri G. Eswar, MLA
8. Shri Appa Rao, MLA
9. Shri P. Goverdhan Reddy, MLA
10. Shri P. Sundaraiah, MLA
11. Shri G. Prakasa Rao, MLA
12. Shri S. Ramadass, MLA
13. Shri B. Shiv Pershad, MLA
14. Shri B. Machender, MLA
15. Shri Sultan Salahuddin Qwaisi, MLA
16. Shri Amar Singh, MLC and
17. Shri R. M. Manohar, MLA

The question of the alleged disqualification of the above sitting members of the Andhra Pradesh State Legislature was raised before the President in eleven (11) different petitions filed in February, 1979 and April, 1979 by Dr. T. K. Kothandaram, Convenor, Dalithajathi Sangarsha Samithi, Hyderabad.

The principal ground on which the question of the alleged disqualification has been raised is that all the above sitting members of the Andhra Pradesh State Legislature (except Shri G. Prakasa Rao, MLA and Shri R. M. Manohar, MLA mentioned at Sl. Nos. 11 and 17 above) have been holding some office of profit or other under the Government of Andhra Pradesh within the meaning of article 191(1)(a) of the Constitution by virtue of their appointment as Chairman/Member of the Board of Directors etc. of various Corporations and Bodies constituted or set up by the Government of Andhra Pradesh. In the cases of S/Shri G. Prakasa Rao and R. M. Manohar, MLAs, it was alleged that they got themselves elected from the constituencies reserved for the Scheduled Tribes and the Scheduled Castes respectively though they did not belong to a Scheduled Tribe/Scheduled Caste.

The particulars furnished in the 11 petitions referred to above regarding the alleged disqualification of the above-mentioned MLAs/MLCs were not sufficient for the Commission to make further enquiries into the matter. In fact, the particulars in respect of Shri Venkat Reddy (mentioned at Sl. No. 1 above) were wrongly furnished in the original petition of Dr. Kothandaram as a result of which the Commission was placed in an embarrassing situation in that it issued a notice to a wrong person which had to be withdrawn by it with an expression of regret. Therefore, the Commission issued formal notices to Dr. Kothandaram in all the above petitions to furnish all relevant particulars and to file all necessary documents in support of his allegations. He was also asked to express his regrets for furnishing wrong particulars in the case of Shri Venkat Reddy, as mentioned above. Nothing has since been heard from Dr. Kothandaram, nor has he cared to respond to any of the above-referred notices despite reminders. In the circumstances state above, the Commission cannot refrain from recording its displeasure over the irresponsible and reckless manner in which the petitioner Dr. Kothandaram has filed the present petitions. Dr. Kothandaram is guilty of abuse of legal process.

Apart from the non-prosecution of the petitions by the petitioners as aforesaid, there has been, in the meanwhile, a material change in the provisions of article 192(2) of the Constitution under which the present petitions purport to have been made. Article 192 of the Constitution has been amended by section 25 of the Constitution (Forthy-fourth Amendment)

Act, 1978, w.e.f. 20-6-1979. Under the amended provisions of article 192, any question relating to the disqualification of a sitting member of a House of the Legislature of a State is required to be raised before the Governor and the President has no longer any jurisdiction to decide such a question.

Having regard to the above Constitutional petition, the Commission on the 19th December, 1979 gave a further notice to Dr. Kothandaram to show cause why the said references should not be returned to the President as having become infructuous. He was also told that in case no reply was received from him by the 10th January, 1980 it would be assumed that he agreed with the above legal position. Again, no communication has been received from Dr. Kothandaram in this connection.

In view of the change in the Constitutional position mentioned above, I am of the opinion, and accordingly hold, that all the above mentioned references made by the President should be returned to him as those references have become infructuous. Consequently, the above references are returned herewith to the President with the above opinion.

New Delhi,
January 19, 1980.

S. L. SHAKDHER, Chief Election Commissioner of India

[No. F. 7(14)/80-Leg.II]
R. V. S. PERI SASTRI, Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1980.